मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 163-64
भोपाल, दिनांक 27/11/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/603/2015

आवेदकः–
M/s Distinct Polymers,
104/ E-2, Sector –B,
Industrial Estate, Sanwer Road,
Indore – 452001 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
मेसर्स पुजा दुल्हन मेहंदी,
श्री इकबाल खान, प्रोपरायटर
ग्रीन पार्क कौलौनी,
इन्दौर – 452001 (म.प्र.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 27.11.2021

आवेदक ने दिनांक 07.04.2015 को काउन्सिल के समक्ष, उपरोक्त अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 33,978/– एवं दिनांक 15.03.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 34,400/– कुल बकाया राशि रू. 68,378/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

1. अनावेदक द्वारा 6 Roll Printed Plastic के प्रदाय हेतु दिये गये मौखिक आदेश के अनुक्रम में आवेदक द्वारा अनावेदक को इन्वाईस क्रमांक 142, दिनांक 16.06.2012 के माध्यम से कुल राशि रू. 33,978/– के रोल का प्रदाय किया गया है।

2. आवेदक का कथन है कि उत्पाद में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। अतः क्रेता द्वारा प्रदायित सामग्री/सेवा के विरुद्ध कोई आपत्ति/शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

3 अनावेदक द्वारा रोल आवेदक के कार्यस्थल से संग्रहित किये गये है, जिसकी स्वीकारोक्ति एवं पुष्टि प्रदायित सामग्री के बिल पर, अनावेदक द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं सील से होती है।

4. आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री की बकाया राशि रू. 33,978/– के भुगतान हेतु पत्र/नोटिस भेजे गये किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक से प्राप्त की गई सामग्री का भुगतान नही किया गया है।

5. अतः आवेदक द्वारा अनावेदक पर बकाया मूलधन राशि रूपये 33,978/– (रूपये तैतीस हजार नौ सौ अठहत्तर मात्र) एवं इस पर दिनांक 15.03.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 34,400/– (रूपये चौतीस हजार चार सौ मात्र), कुल राशि रूपये रूपये 68,378/– (रूपये अड़सठ हजार तीन सौ अठहत्तर मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक का ब्याज दिलवाने हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2015 को प्रस्तुत किया गया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 993–994 दिनांक 15.05.2015, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 27.04.2016, 03.11.2016, 25.01.2017, 19.04.2017, 21.02.2018, 30.05.2019, 11.09.2019, 23.06.2019 एवं दिनांक 08.12.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई–मेल जारी किये गये।

..........2

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को आवेदक मेसर्स डिस्टिनक्ट पॉलीमर्स, इंदौर की ओर से श्री बृज मोहन गुप्ता वीडिओ–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित एवं अनावेदक मेसर्स पूजा दुल्हन मेंहदी, इंदौर अनुपस्थित ।

आवेदक को सुना गया। आवेदक मेसर्स डिस्टिनक्ट पॉलीमर्स, इंदौर द्वारा विगत् विभिन्न सुनवाई बैठकों में अनावेदक मेसर्स पूजा दुल्हन मेंहदी, इंदौर का रजिस्टर्ड एवं पूर्ण पता आदि देने हेतु कहा गया था, क्योंकि पूर्ण पते के अभाव में अनावेदक को नोटिस वितरित नहीं हो पाया था। बार–बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी आवेदक अनावेदक का रजिस्टर्ड एवं पूर्ण पता उपलब्ध नहीं करा पाए।

अतः काउंसिल ने आवेदक द्वारा अनावेदक का रजिस्टर्ड एवं पूर्ण पता उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण प्रकरण खारिज किये जाने का निर्णय लिया ।

अतएव, ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017'' के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवेदक M/s Distinct Polymers, 104/ E-2, Sector –B, Industrial Estate, Sanwer Road, Indore (M.P.) द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2015 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद'' भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।